संधि contd.

२५. वान्तो यि प्रत्यये – 6|1|79.
यह विधिसूत्र है। इसका अर्थ है कि ओ, औ (वर्णों के परे) के परे यकारादि प्रत्यय होता है तो 'ओ' का 'अव्' एवं 'औ' के 'आव्' आदेश होता है। यथा – गव्यम्, नाव्यम् –
गो + यम् – यकारादि अर्थात् 'य' प्रत्यय के ओ (ओ) वर्ण के परे आने से 'वान्तो यि प्रत्यये' से अव् आदेश होकर गव्यम् बना।
(ख) नाव्यम् (अर्थ है नाव से तैरने योग्य – नावा तार्यम्) नौ + य
Same as गव्यम्।

वा० – 'अध्वपरिमाणे च' – यदि अध्व का परिमाण (रास्ते के तय स्वरूप – परिमाण) भी बताया जाता है, तो 'गो' शब्द के परे 'यूति' रहने पर 'ओ' का अवादेश हो जाता है।
यथा – गव्यूतिः (दो कोश) – यहाँ पर 'अध्वपरिमाणे च' वार्तिक से 'ओ' का 'अव' आदेश हुआ है।

25. अदेङ् गुणः – 1|1|70
यह संज्ञा सूत्र है, जिसका अर्थ है अत् (अ) और 'एङ्' (एओङ् – ए, ओ) की गुण संज्ञा होती है।

26. तपरस्तत्कालस्य – 1|1|70
यह संज्ञा-परिभाषा सूत्र है। इसमें 'तपरः' और 'तत्कालस्य' दो पद हैं जिनमें 'तपरः' के दो और 'तत्कालस्य' के तीन अर्थ बताए गए हैं।
तपरः – ① जिस स्वर के परे तकार हो। ② तकार के परे जो स्वर हो।
तत्कालस्य – इन दोनों अर्थों के अतिरिक्त इसका एक और अर्थ है कि उस 'तपर' के उच्चारण काल के समान ही उसका उच्चारण काल हो, उसका भी बताने वाला।

अतः सूत्र का अर्थ है कि जिस स्वरवर्ण के पश्चात् 'त्' का निर्देश किया गया है, वह अपना और अपने समान उच्चारण काल वाले स्वरों का भी द्योतक है।

27. आद्गुणः – 6/1/87

यह विधिसूत्र है। यदि अ और आ के पर कोई स्वरवर्ण हो तो पूर्ववर्ती 'अवर्ण' और परवर्ती स्वर – इन दोनों के स्थान में एक ही गुण 'अ', 'ए' या आदेश होता है। यथा – उपेन्द्र गंगोदकम्।

① उप + इन्द्रः – उप (अ) के परे 'इ' रहने से पूर्ववर्ती अ और 'इ' के स्थान में 'आद्गुणः' गुण 'ए' आदेश हो जाता है। 'स्थानेऽन्तरतमः' सूत्र के अनुसार कण्ठस्थानीय अकार और तालुस्थानीय 'इकार' कण्ठतालु स्थानीय 'एकार' के अत्यन्त सदृश है। इस प्रकार 'अ' और 'इ' के स्थान में 'ए' गुण आदेश होने से 'उपेन्द्रः' रूप सिद्ध हुआ।

गंगोदकम् – गंगा + उदकम् Same as उपेन्द्रः।

28 - 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' – 1/3/2

यह संज्ञा सूत्र है। इसका अर्थ है जो 'अच्' अनुनासिक हो उसकी इत् संज्ञा (लोप) होती है। 'तस्य लोपः' से उस वर्ण का लोप हो जाता है।

(ऐसी संभावना बतायी जाती है कि पाणिनि के काल में अँ, इँ आदि स्वरों पर भी चन्द्रबिन्दु दिया जाता था, किन्तु बाद में वह अनुनासिक पाठ लुप्त हो गया। अभी तो पाणिनि के कहे हुए वर्णों का अनुनासिक होना केवल प्रतिज्ञा से जाना जाता है।

29. उरण्रपरः 1/1/51 – 'ऋ' के स्थान पर आदेश होनेवाला अण 'रपर' होता है।

यह परिभाषा सूत्र है। इसका अर्थ है – अर्थात् – 'ऋ' का 'अर्' होगा। उसी प्रकार 'ऋ' के स्थान पर किसी दूसरे सूत्र से 'इ', या 'उ' आदेश होने पर 'इर्', 'उर्' आदेश माना जाएगा। यथा- कृष्णर्द्धिः – कृष्ण + ऋद्धिः।

Scanned with CamScanner